/

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

शैलेश श्रीवास्तव,
तकनीकी निदेशक,
प्रभारी ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।

पत्रांकः 2127 /शि0का0लख0/2018 दिनांक 09/मई, 2018

विषयः– विभागीय पोर्टल पर संचालित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इण्टीग्रेट कर प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र संख्या 494/34–लो0शि0–5/2018 दिनांक 08.05.2018 के अन्तर्गत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की विभागीय ऑनलाइन सेवाओं विवाह पंजीकरण, भारमुक्त प्रमाण पत्र एवं सम्पत्ति पंजीकरण को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इण्टीग्रेट कर प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

आपके द्वारा ई–मेल पर प्रेषित सूचना दिनांक 21 मार्च 2018 के अनुसार यह अपेक्षा की गयी थी कि सेवायें के परीक्षण के उपरान्त विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया जाना अपेक्षित है, जिसके उपरान्त उपर्युक्त सेवायें प्रारम्भ की जा सकेंगी। अवगत कराना है कि शासन द्वारा उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 9/2018–748/94–1–2018–312(221)/2017 दिनांक 04 मई 2018 (प्रति संलग्न) को निर्गत किया जा चुका है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त विभागीय तीन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इण्टीग्रेट करते हुए प्रारम्भ करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय
9.5-18
(सीताराम यादव)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

O/c

संख्या-9/2018/748/94-1-2018-312(221)/2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0, लखनऊ /इलाहाबाद ।

2- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: ०५ मई, 2018

विषय:- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्रांक-1507/78-2-2015-53आई0टी0/2008 दिनांक 23-09-2015 द्वारा विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं में इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रदेश में आम जन को शासकीय सेवाओं को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा सके। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की 03 चयनित सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सुगमता पूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- वर्तमान में जन सेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों पर शासनादेश संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34आई0टी0/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवाओं के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज लिया जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की निम्नलिखित 03 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जन सामान्य/ उद्यमियों को प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए निम्नानुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा:-

क्रम सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रु0)				कुल चार्ज (रु0)
		एस0सी0ए0/ केन्द्र संचालक	विभाग	डी0ई0जी0एस0/ लोकवाणी सोसाइटी	सी0ई0जी0	
1	2	3	4	5	6	7
1	N.E.C. (Non-Encumbrance Certificate)	6	0	7	2	15
2	Marriage Registration	6	0	7	2	15
3	Property Registration	6	0	7	2	15

3- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए प्रस्तर-2 के अनुसार यूजर चार्जेज लिये जायेंगे। यदि कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे एवं नागरिक अपने क्रेडिट/ डेबिट/ नेट बैंकिंग से सेवा हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र आपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

4- आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने के पश्चात केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लोग-इन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

5- बिन्दु संख्या-4 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धितों द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-9/2018/748/94-1-2018 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- एस0आई0ओ0 एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
5- हेड एस0ई0एम0टी0 उत्तर प्रदेश।
6- महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उ0प्र0 को पत्र की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
7- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एल0सी0 लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।